

31-10-25 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, तद्वसीखपर
माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे ध्या. पठ किया गया,
रिपोर्ट में बताया गया कि निर्णय एवं डिर्की की पालना
में नामान्तरण सं. 5644 दिनांक 8-1-24 को पालना
की जा-चुकी है प्रकरण में ठाक कोई कार्यवाही शेष
नहीं है अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता
है। पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीरवाड़ा